भारत सरकार

पंचायती राज मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं.555

दिनांक 21 नवम्बर, 2016 को उत्तरार्थ

पंचायतों के लिए पर्याप्त अवसंरचना

555. श्रीमती रजनी पाटिल :

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश भर की पंचायतों में पर्याप्त अवसंरचनात्मक सुविधा सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा कोई योजना क्रियान्वित की जा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने सभी पंचायतों का कम्प्यूटरीकरण करने और साथ ही वहां पर ऑन लाइन सेवाओं का प्रावधान प्रस्तावित किया था; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षो और चालू वर्षो के दौरान सरकार द्वारा इस उद्देश्यार्थ राज्य-वार कितना वित्तीय आवंटन किया गया है ?

उत्तर

पंचायती राज, राज्य मंत्री
(श्री परषोत्तम रूपाला)

(क) जी नहीं, पंचायतें राज्यों का विषय होने के कारण पंचायतों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करना मुख्यत: राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की जिम्मेदारी है । पंचायतें संबंधित योजना दिशानिर्देशों के अनुसार चौदहवें वित्त आयोग आबंटन और केन्द्रीय योजनाएं अर्थात मनरेगा आदि को पंचायतों में मूलभूत सुविधाओं का प्रावधान करने के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं ।

(ख) और (ग) जी नहीं, पहले की राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान योजना (आरजीपीएसए) राज्यों को कम्प्यूटरों की खरीद सहित उनके वार्षिक आरजीपीएसए योजना से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार कम्प्यूटरों की खरीद सहित राज्यों को ई-सक्षम बनाने के लिए सहयोग प्रदान करती थी । तथापि चौदहवें वित्त आयोग की निधियों के अंतरण के संबंध में वर्ष 2015-16 से राज्यों को कम्प्यूटरों की खरीद हेतु सहायता को बंद कर दिया गया है । मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, चौदहवें वित्त आयोग की कुछ राशि को ग्राम पंचायतें कम्प्यूटरों की खरीद हेतु इस्तेमाल कर सकती हैं । ई-सक्षमता के लिए पिछले तीन वर्षो और चालू वर्ष के लिए राज्य अनुसार स्वीकृत निधियों का ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है । पंचायती राज मंत्रालय ने सेवाओं को ऑनलाइन प्रदान करने के लिए साफ्टवेयर विकसित किया है । इसके साथ कुछ राज्यों ने इसी उद्देश्य के लिए अपने राज्य विशेष साफ्टवेयर अनुप्रयोगों को विकसित किया है । तथापि पंचायतों की तत्परता के स्तर में विभिन्नता होने के कारण ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करने की गति राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न है ।

अनुबंध

पंचायतों को पर्याप्त अवसंरचना के संबंध में दिनांक *21.11.2016* को राज्य सभा में उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं. *555* के भाग (ख) एवं (ग) से संदर्भित अनुबंध

ई-सक्षमता घटक के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्वीकृत राशि

(करोड़ रू. में)

क्र.सं. .	राज्य	स्वीकृत राशि			
		2013-14	2014-15	2015-16*	2016-17*
1	आंध्र प्रदेश	24.23	6.53	0.76	12.59
2	असम	8.80	4.40	1.26	1.20
3	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.07	0.00
4	बिहार	0.40	7.32	0.00	0.00
5	छत्तीसगढ	0.00	8.00	2.96	2.29
6	चंडीगढ	0.00	0.00	0.00	0.00
7	दमन और दीव	0.05	0.18	0.00	0.00
8	दादरा एवं नगर हवेली	0.04	0.14	0.00	0.00
9	गोवा	0.00	0.00	0.33	0.01
10	गजरात	0.00	4.31	3.25	4.82
11	हरियाणा	4.57	3.68	0.00	1.40
12	हिमाचल प्रदेश	0.00	7.64	0.51	0.00
13	जम्म-कश्मीर	4.12	6.19	1.50	0.00
14	झारखंड	4.00	0.00	2.05	2.09
15	कर्नाटक	0.00	2.52	1.37	1.32
16	केरल	0.00	9.78	0.00	0.00
17	लक्षदवीप	0.00	0.00	0.06	0.00
18	महाराष्ट्र	0.00	0.00	0.00	3.06
19	मध्य प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00
20	मणिपर	0.26	0.00	0.26	0.18
21	मिजोरम	0.00	0.48	0.00	0.00
22	ओडिशा	11.21	5.61	0.88	1.12
23	पंजाब	0.00	0.40	0.00	0.94
24	राजस्थान	0.91	0.00	0.00	3.54
25	सिक्किम	0.70	0.70	0.28	0.31
26	तमिलनाड	50.09	0.00	0.00	0.61
27	तेलंगाना	0.00	8.22	0.00	0.00
28	त्रिपरा	2.24	0.08	0.00	0.00
29	उत्तर प्रदेश	0.00	40.00	0.00	0.00
30	उत्तराखंड	0.00	4.00	3.64	0.62
31	पश्चिम बंगाल	1.60	2.03	0.89	
	कल	113.22	122.21	20.07	37.01

* ई-सक्षमता के अंतर्गत वर्ष 2015-16 से कंप्यूटरों की खरीद हेतु कोई धनराशि नहीं प्रदान की गई है ।